



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

पृ. 13 ]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 9, 2003/पौष 19, 1924

पृ. 13 ]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 9, 2003/PAUSA 19, 1924

वित्त एवं कंपनी कार्य मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(पूंजी बाजार, विदेशी वाणिज्यिक उधार और पेंशन सुधार प्रभाग)

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 9 जनवरी, 2003

सं. का. नि. 16 (अ).—भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग), (पूंजी बाजार, विदेशी वाणिज्यिक उधार और पेंशन सुधार प्रभाग) की अधिसूचना सं. सं.का.नि. 558(अ) दिनांक 27 जुलाई, 2001 में सुदृष्ट 1 पर पंक्ति 25 में "2 के लिए निक्षेपागार (प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण को अपील) नियमावली, 2000 में नियम 2 में उप-नियम (1) धारा (ज) के लिए" पढ़ें। "1. शीर्षक और प्रारंभ.—(1) इन नियमों को निक्षेपागार (प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण को अपील) (संशोधन) नियमावली, 2000 के नाम से जाना जाएगा।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।

2. निक्षेपागार (प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण को अपील) नियमावली, 2000 में नियम 2 में उप-नियम (1) धारा (ज) के लिए"।

[फा. सं. 1/69/एसई/98]

यू. के. सिन्हा, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF FINANCE AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Economic Affairs)

(CAPITAL MARKETS, EXTERNAL COMMERCIAL BORROWINGS AND PENSION REFORMS DIVISION)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 9th January, 2003

G. S. R. 16 (E).—In the Notification to the Government of India, Ministry of Finance, (Department of Economic Affairs), (Capital Market, External Commercial Borrowings and Pension Reforms Division), No. G.S.R. 558(E) dated 27th July, 2001, published in Part-II, Section 3, Sub-section (i) of the Gazette of India, Extraordinary, at page 1, in line 25 for "2. in the Depositories (Appeal to Securities Appellate Tribunal) Rules, 2000, in rule 2, in sub-rule (1), for the clause (h), the" read "1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called Depositories (Appeal to Securities Appellate Tribunal) (Amendment) Rules, 2000."

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Depositories (Appeal to Securities Appellate Tribunal) Rules, 2000, in rule 2, in sub-rule (1), for clause (h), the".

[F. No. 1/69/SE/98]

U. K. SINHA, Jt. Secy.

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 9 जनवरी, 2003

विस्तृत सूचना  
 Ministry of Finance  
 Finance & Company Administration

सं. का. वि. 17 (अ).—भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग), (पूंजी बाजार, विदेशी वाणिज्यिक उधार और पेंशन सुधार प्रभाग) की अधिसूचना सं. सा.का.वि. 559(अ) दिनांक 27 जुलाई, 2001 में पृष्ठ 2 पर पंक्ति 26 में "2 के लिए प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण को अपील) नियमावली, 2000 में नियम 2 उप-नियम (1) धारा (ज) के लिए" पढ़ें। "1. लघु शीर्षक और प्रारंभ.—(1) इन नियमों को प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण को अपील) (संशोधन) नियमावली, 2000 के नाम से जाना जाएगा।"

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।

2. प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण को अपील) नियमावली, 2000 में नियम 2 में उप-नियम (1) धारा (ज) के लिए।

[फा. सं. 1/69/एसई/98]

यू. के. सिन्हा, संयुक्त सचिव

**CORRIGENDUM**

New Delhi, the 9th January, 2003

G. S. R. 17 (E).—In the Notification to the Government of India, Ministry of Finance, (Department of Economic Affairs), (Capital Market, External Commercial Borrowings and Pension Reforms Division), No. G.S.R. 559(E) dated 27th July, 2001, published in Part-II, Section 3, Sub-section (i) of the Gazette of India, Extraordinary, at page 2, in line 26 for "2. In the Securities Contracts (Regulation) (Appeal to Securities Appellate Tribunal) Rules, 2000, in rule 2, in sub-rule (1), for the clause (h), the read. "1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called Securities Contracts (Regulation) (Appeal to Securities Appellate Tribunal) (Amendment) Rules, 2000."

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Securities Contracts (Regulation) (Appeal to Securities Appellate Tribunal) Rules, 2000, in rule 2, in sub-rule (1), for clause (h), the

[F. No. 1/69/SE/98]

U. K. SINHA, Jt. Secy.

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 9 जनवरी, 2003

सं. का. वि. 18 (अ).—भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग), (पूंजी बाजार, विदेशी वाणिज्यिक उधार और पेंशन सुधार प्रभाग) की अधिसूचना सं. सा.का.वि. 560(अ) दिनांक 27 जुलाई, 2001 में पृष्ठ 3 पर पंक्ति 8 में "2 के लिए प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (प्रक्रिया) नियमावली, 2000 में नियम 2 उप-नियम (1) धारा (इ) के लिए" पढ़ें। "1. लघु शीर्षक और प्रारंभ.—(1) इन नियमों को प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (प्रक्रिया) (संशोधन) नियमावली, 2000 के नाम से जाना जाएगा।"

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।

2. प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (प्रक्रिया) नियमावली, 2000 में नियम 2 में उप-नियम (1) धारा (इ) के लिए।

[फा. सं. 1/69/एसई/98]

यू. के. सिन्हा, संयुक्त सचिव

**CORRIGENDUM**

New Delhi, the 9th January, 2003

G. S. R. 18 (E).—In the Notification to the Government of India, Ministry of Finance, (Department of Economic Affairs), (Capital Market, External Commercial Borrowings and Pension Reforms Division), No. G.S.R. 560(E) dated 27th July, 2001, published in Part-II, Section 3, Sub-section (i) of the Gazette of India, Extraordinary, at page 3, in line 8 for "2. In the Securities Appellate Tribunal (Procedure) Rules, 2000, in rule 2, in sub-rule (1), for the clause (i), the" read "1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called Securities Appellate Tribunal (Procedure) (Amendment) Rules, 2000."

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Securities Appellate Tribunal (Procedure) Rules, 2000, in rule 2, in sub-rule (1), for clause (i), the

[F. No. 1/69/SE/98]

U. K. SINHA, Jt. Secy.